बिहार सरकार

माननीय मंत्री

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

का

बजट भाषण
वर्ष 2025-26

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

माननीय मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का

बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष/सभापति महोदय,

मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के बजट पर माँग प्रस्तुत करने की अनुमति दी है।

महोदय, हमारी सरकार पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है तथा इन वर्गों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए सतत् प्रयत्नशील है। राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के उत्थान हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 से (दिनांक–01.04.2007 से) पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को स्वतंत्र विभाग का दर्जा प्रदान किया गया।

विभागीय संकल्प संख्या–1697, दिनांक–02.10.2021 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1698, दिनांक–02.10.2021 द्वारा विभाग अंतर्गत निदेशालय के गठन हेतु पदाधिकारियों/कर्मियों के 26 पदों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में पदाधिकारियों/कर्मियों के 420 पदों सहित कुल 446 पदों के सृजन की स्वीकृति स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत प्रदान की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2008–09 में विभाग का वार्षिक योजना बजट जहाँ ₹4217.40 लाख (रूपये बयालीस करोड़ सत्रह लाख चालीस हजार) मात्र से प्रारंभ किया गया है, वहीं वित्तीय वर्ष 2025–26 में इन वर्गों के उत्थान हेतु योजना आकार बढ़कर ₹190000.00 लाख (रूपये एक हजार नौ सौ करोड़) तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत ₹19108.21 लाख (रूपये एक सौ ईक्यानवे करोड़ आठ लाख इक्कीस हजार) मात्र अर्थात् कुल ₹209108.21 लाख (रूपये दो हजार ईक्यानवे करोड़ आठ लाख इक्कीस हजार) मात्र का उद्व्यय प्राप्त है। वित्तीय वर्ष 2022–23 से राज्य योजना के अंतर्गत कक्षा–I से X तक अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति से आच्छादित करने हेतु ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना'' की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विशेषकर व्यवसायिक कोर्सों हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2022–23 से राज्य योजना के तहत ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना–2023'' की स्वीकृति दी गयी है। विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राप्त भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए निम्नांकित योजनाएँ संचालन हेतु प्रस्तावित हैं :–

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का बजट

(राशि ₹लाख में)

वित्तीय वर्ष 2025–26	स्वीकृत योजना उद्व्यय
राज्य स्कीम	176528.00
केन्द्र प्रायोजित स्कीम (केन्द्रांश)	13172.00
केन्द्र प्रायोजित स्कीम (राज्यांश)	300.00
कुल योग :–	190000.00

(राशि ₹लाख में)

क्र0 सं0	मद का नाम	बजट		
		2024–25	वर्ष 2024–25 (पुनरीक्षित)	वर्ष 2025–26 (प्रस्तावित राशि)
1	2	3	4	5
	राज्य स्कीम			
1	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (197 ब्लॉक पंचायत)	10400.00	10400.00	10400.00
2	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (198 ग्राम पंचायत)	19900.00	19900.00	19900.00
3	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (277 शिक्षा)	56768.00	56768.00	57764.00
4	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (277 शिक्षा)			
5	मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	25000.00	25000.00	23500.00
6	मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	2000.00	2000.00	2000.00
7	मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना	936.00	936.00	840.00
8	प्री–मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मोनेटरिंग/प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र योजना/कौशल विकास योजना/मशीन एवं उपस्कर	2500.00	2500.00	3700.00
9	मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना।	12700.00	16218.00	14500.00
10	मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना।	10700.00	16217.70	13149.80
11	प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र/मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द्रों के छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि		489.60	349.20
12	जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास योजना।	500.00	500.00	25.00
13	आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण, परिसर विकास, चहारदीवारी, जीर्णोद्धार	30000.00	58700.00	30000.00
14	आवासीय विद्यालय छात्रावास आदि भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत	200.00	398.10	200.00
15	आवासीय विद्यालयों/छात्रावास भवनों में पेयजल आपूर्ति अधिष्ठापन	0.00	0.00	100.00
16	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	0.00	1045.00	100.00
	योगः– (राज्य स्कीम)	**171604.00**	**211072.40**	**176528.00**
	केन्द्र प्रायोजित स्कीम (केन्द्रांश)			
1	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (60:40)	11999.99	11999.99	12000.00
2	प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति (60:40)	0.01	0.01	1.00
3	छात्रावास निर्माण (60:40/90:10)	1170.00	1170.00	1170.00
4	डा० अम्बेदकर प्री–मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (अनधिसूचित घूमन्तू, अर्द्धघूमन्तू जनजाति के विकास के लिए) (60:40)	15.00	15.00	1.00
	योगः–(केन्द्रांश)	**13185.00**	**13185.00**	**13172.00**
	केन्द्र प्रायोजित स्कीम (राज्यांश)			
	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (60:40)	0.00	0.00	0.01
1	प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति (60:40)	2489.00	2489.00	0.01
2	छात्रावास निर्माण (60:40/90:10)	570.00	570.00	299.98
3	डा० अम्बेदकर प्री–मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (अनधिसूचित घूमन्तू अर्द्धघूमन्तू जनजाति के विकास के लिए) (60:40)	5.00	5.00	0.00
	योगः– (राज्यांश)	**3064.00**	**3064.00**	**300.00**
	कुल योग :–	**187853.00**	**227321.40**	**190000.00**

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय

(राशि ₹लाख में)

क्र0सं0	मद का नाम	2024–25	वर्ष 2024–25 (पुनरीक्षित)	वर्ष 2025–26 (प्रस्तावित राशि)
1	मुख्यालय स्थापना	659.82	719.42	772.31
2	परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति	25.00	25.00	25.00
3	छात्रावासों का संधारण	1095.01	1533.70	1912.68
4	+2 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय का संधारण	5941.56	6758.65	9512.92
5	निदेशालय स्थापना	140.79	140.79	146.83
6	क्षेत्रीय स्थापना	3214.43	3312.66	6728.47
7	विभागीय मुख्यालय का आधुनिकीकरण रख–रखाव एवं मरम्मत		177.53	10.00
	योग–	**11076.61**	**12667.75**	**19108.21**
	कुल योग (स्कीम + स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)	**198929.61**	**239989.15**	**209108.21**

राज्य स्कीम के अन्तर्गत आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण, परिसर विकास, चहारदीवारी, जीर्णोद्धार मद में प्रस्तावित राशि ₹30000.00 लाख (रू0 तीन सौ करोड़) मात्र तथा आवासीय विद्यालय, छात्रावास आदि भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मती मद में प्रस्तावित राशि रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़) मात्र का बजट प्रावधान भवन निर्माण विभाग के मांग संख्या–03 के अन्तर्गत प्रस्तावित है। छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में पेयजल आपूर्ति अधिष्ठापन हेतु प्रस्तावित राशि रू0 100.00 लाख (एक करोड़) मात्र का बजट प्रावधान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मांग संख्या–36 के अंतर्गत प्रस्तावित है।

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत विभागीय मुख्यालय का आधुनिकीकरण रख–रखाव एवं मरम्मत मद में प्रस्तावित राशि रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख) मात्र का बजट प्रावधान भवन निर्माण विभाग के मांग संख्या–03 के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

हमारी सरकार की उपलब्धियों के संबंध में कुछ विशेष तथ्य समर्पित करना चाहता हूँ।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए मुख्यतः चौदह योजनाएँ यथा– (1) मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (2) मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना–2023 (3) मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना, (4) मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना, (5) परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्त्ति, (6) अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, (7) जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना, (8) अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना, (9) मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, (10) मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना (11) छात्रावासों में खाद्यान्न आपूर्ति योजना, (12) प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजना, (13) मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति

पिछड़ा वर्ग कौशल विकास योजना, (14) मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना संचालित की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 से राज्य योजना के तहत राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में कक्षा–I से X तक अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना'' के संचालन एवं दिशा–निर्देश तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 71,72,033 छात्र/छात्राओं के बीच कुल राशि रू0 8,09,77,06,800/– (आठ अरब नौ करोड़ सतहत्तर लाख छः हजार आठ सौ) वितरित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत अब तक 87500.00 लाख (रू0 आठ सौ पचहत्तर करोड़) मात्र की स्वीकृति दी गयी है।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विशेषकर व्यवसायिक कोर्सों हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के स्थान पर राज्य योजना के तहत ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना–2023'' के संचालन एवं दिशा–निर्देश तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त योजनान्तर्गत राज्य के अंदर अवस्थित संस्थानों में अध्ययनरत एवं रू0 3.00 लाख तक पारिवारिक वार्षिक आय अधिसीमा के अन्तर्गत पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन की जाती है।

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2018–19 से किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना एवं संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आर्थिक कठिनाईयों के कारण मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग/पर्याप्त मार्गदर्शन एवं उपयोगी पुस्तक क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अग्रेत्तर तैयारी हेतु एकमुश्त रू0 50000/–(रूपये पचास हजार) तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को एकमुश्त रू0 100000/– (रूपये एक लाख) का लाभ देने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2024–25 तक बिहार लोक सेवा आयोग (P.T) परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कुल 5958 अभ्यर्थियों को प्रति अभ्यर्थी रू0 50,000/– मात्र की दर से तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (P.T) परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कुल 212 अभ्यर्थियों को प्रति अभ्यर्थी रू0 1,00,000/– मात्र की दर से लाभान्वित किया गया है। लाभान्वित अभ्यर्थियों में से बिहार

लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में क्रमशः 911 अभ्यर्थी एवं 20 अभ्यर्थी सफल हुए हैं तथा अंतिम रूप से उक्त दोनों परीक्षाओं में क्रमशः 391 एवं 16 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं।

वर्ष 2023–24 से मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना को विस्तारित करते हुए इस योजना के तहत पूर्व से सम्मिलित परीक्षाओं के अतिरिक्त संघ लोक सेवा अयोग नई दिल्ली, केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग, विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोग, विभिन्न बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड/आई0बी0पी0एस0, विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा को सम्मिलित करते हुए उक्त परीक्षाओं में उतीर्ण होने वाले राज्य के अंत्यत पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित दर के अनुसार प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 2000.00 लाख उद्व्यय का प्रावधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2008–09 से अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 से पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएँ प्रारंभ की गयी हैं। मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत प्रत्येक वर्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक (10वीं) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को एकमुश्त ₹10,000/– (रूपये दस हजार) मात्र की वृत्तिका दी जाती है। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) मात्र तक के छात्रों को भी मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना की तरह ही एकमुश्त ₹10,000/–की वृत्तिका दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2017–18 से इस योजना के तहत छात्रवृत्ति का भुगतान शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 से राज्य स्कीम के तहत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र आरम्भ करने की स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में इस योजना से सभी जिलों को आच्छादित कर दिया गया है। सभी स्वीकृत 38 केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है एवं वर्तमान में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विभिन्न प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में कुल 4560 छात्र/छात्राएँ प्रशिक्षणरत हैं। उक्त केंद्रों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु पाठ्य सामग्री के क्रय के लिए प्रति छात्र/छात्रा ₹3000/– की दर से प्रदान किया जाता है।

पूर्व से 11 जिलों में संचालित कुल 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के अतिरिक्त राज्य के शेष 27 जिलों में एक–एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय का संचालन वित्तीय वर्ष 2023–24 से प्रारम्भ किया गया है। कुल 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय हेतु विभिन्न कोटि के कुल 1365 पदों के सृजन के आलोक में 903 शैक्षणिक पदों की नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। सभी 38 जिलों में कुल 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। अबतक 16 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका

है एवं शेष प्रक्रियाधीन है। विद्यालयों में प्रयोगशाला तथा स्मार्ट क्लास का अधिष्ठापन किया जा रहा है।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राएँ, जो शहर में रहकर शिक्षा ग्रहण करने में समर्थ नहीं हैं, के लिए जिला मुख्यालय स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास का संचालन किया जा रहा है। पूर्व से 24 जिलों में निर्मित 27 छात्रावासों के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य के 8 जिलों में कुल 10 छात्रावास तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य के 7 जिलों में कुल 7 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति राज्य योजना के तहत प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृतियों के फलस्वरूप अब सभी जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास संचालित होंगे। वर्तमान में 20 जिलों यथा– पटना, रोहतास, जहानाबाद, जमुई, खगड़िया, शेखपुरा, मधेपुरा, सुपौल, बाँका, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर, भोजपुर, बेगूसराय, मुंगेर एवं कैमूर में एक–एक तथा दरभंगा, भागलपुर एवं कटिहार में दो–दो कुल 23 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास का संचालन किया जा रहा है। सहरसा, नवादा (बुधौल एवं रजौली), बक्सर, पूर्णियॉ, नालंदा एवं गोपालगंज में छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जो संचालन की प्रक्रिया में है।

इसी प्रकार अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना कार्यान्वित की जा रही है। राज्य के सभी 38 जिलों में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। खगड़िया एवं सीवान जिला में नवनिर्मित छात्रावास भवन संचालन की प्रक्रिया में है। वर्तमान में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में आवासित हो कर अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को कॉट, मैट्रेस, चादर, पठन–पाठन हेतु टेबुल, कुर्सी, खाना बनाने हेतु बर्त्तन एवं रसोईया इत्यादि की सुविधा दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक एवं उच्च शिक्षा दर में वृद्धि करने के उद्देश्य एवं छात्रावास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छात्र/छात्राओं को छात्रावास अनुदान की आवश्यकता को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा ₹1000/– (रूपये एक हजार) प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ देने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत औसतन लगभग पाँच हजार छात्र/छात्राओं को प्रतिमाह लाभान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 840.00 लाख उद्व्यय का प्रावधान किया गया है।

छात्रावासों में खाद्यान्न आपूर्ति योजना वित्तीय वर्ष 2018–19 से प्रारंभ की गयी है। इस योजना के तहत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्गत छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को प्रति माह 15 किलो ग्राम की दर से खाद्यान्न (9 किलो ग्राम चावल एवं 6 किलो ग्राम गेहूँ) की आपूर्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार के द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में संबंधित छात्रावासों तक खाद्यान्नों की आपूर्ति डोर स्टेप डिलीवरी योजना–2016 के तहत की जाती है। योजनान्तर्गत औसतन लगभग पाँच हजार छात्र/छात्राओं को प्रतिमाह लाभान्वित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 से राज्य में संचालित सभी जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, अन्य पिछड़ा वर्ग

कल्याण छात्रावास एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालयों में जननायक पुस्तकालय एवं डिजिटल अध्ययन केन्द्र विकसित किया गया है। इन केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य प्रतियोगी एवं उच्च कोटि के पाठ्यसामग्री उपलब्ध कराना, डिजिटल अध्ययन के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सुनिश्चित कराना है। साथ ही, विशेषज्ञों तथा पूर्ववर्ती सफल छात्र/छात्राओं के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन सत्र आयोजित करना है।

"मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास योजना" पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के बेरोजगारी दूर करने एवं जीवन स्तर ऊपर उठाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2017–18 से संचालित है। इस योजना के तहत श्रम संसाधन विभाग द्वारा अनुशंसित प्रशिक्षण केन्द्रों पर विभिन्न ट्रेडों में कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 तक 4162 प्रशिक्षणार्थी का प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है। इस योजना से पिछड़े वर्गों एवं अत्यंत पिछड़े वर्गों के सदस्यों का आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन के साथ–साथ राज्य के आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। वित्तीय वर्ष 2023–24 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं बिग डेटा ऐनालिटिक्स, क्लाउड कम्प्यूटिंग, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म एवं हॉस्पीटेलिटी, एयर होस्टेस, फ्लाईट अटेंडेंट एवं ग्राउण्ड स्टाफ आदि से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी चालू वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 से राज्य योजनान्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना में प्रबंधन प्रवेश परीक्षा यथा– कैट, मैट आदि तथा प्रबंधन से संबंधित रोजगार परक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी एवं चाणक्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में विधि पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा यथा– क्लैट तथा न्यायिक सेवाओं की निःशुल्क तैयारी कराने हेतु "मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना" की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजनान्तर्गत ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना में प्रबंधन प्रवेश परीक्षा यथा कैट, मैट आदि तथा प्रबंधन से संबंधित रोजगार परक प्रतियोगिता परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराने हेतु एक "व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द्र"के संचालन तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की भागीदारी में वृद्धि के उद्देश्य से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाएँ यथा – NET, GATE, JRF (CSIR), Ph.D, M.Phil आदि की निःशुल्क तैयारी कराने हेतु राज्य के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर एवं मधेपुरा में अवस्थित विश्वविद्यालयों में एक–एक केन्द्र तथा पटना में अवस्थित विश्वविद्यालयों में दो केन्द्र अर्थात कुल सात व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द्र के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस प्रकार मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजनान्तर्गत कुल 10 केन्द्रों की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्तमान में सभी 10 केन्द्र संचालित है। उक्त केंद्रों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु पाठ्य सामग्री के क्रय के लिए रु0 3000/– प्रदान किया जाता है।

पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में

किये गये कार्यों से संबंधित मुख्य उपलब्धियाँ निम्नरूपेण हैः–

क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारियों के सृजित कुल 139 पदों के विरूद्ध 130 अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

विभाग अन्तर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के लिए कुल 903 शैक्षणिक पदों के विरूद्ध 561 पदों पर नियुक्ति की गयी है। शेष पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।

विभाग अन्तर्गत सभी छात्रावासों को गुणवत्तापूर्ण एवं पेशेवर रूप से संचालित किये जाने हेतु कुल–91 छात्रावास प्रबंधक के पदों का सृजन किया गया है। उक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अधियाचना बिहार राज्य तकनीकी सेवा आयोग को प्रेषित है।

वर्तमान में 20 जिलों में कुल 23 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान वर्ष में 06 जिलों यथा–नवादा, गोपालगंज, नालंदा, बक्सर, सहरसा एवं पूर्णियाँ में कुल 07 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नवादा जिला में दो छात्रावास (रजौली एवं बुधौल) का निर्माण किया गया है।

सभी जिलों मे 100 आवासन क्षमता वाले एक–एक जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, पटना में स्थापित जननायक पुस्तकालय एवं राज्य डिजिटल अध्ययन केन्द्र में यू0पी0एस0सी0 एवं बी0पी0एस0सी0 की तैयारी हेतु नये बैच की शुरूआत की गयी है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजनान्तर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की भागीदारी में वृद्धि के उद्देश्य से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाएँ यथा–NET, GATE, JRF (CSIR), Ph.D, M.Phil आदि की निःशुल्क तैयारी कराने हेतु मगध विश्वविद्यालय बोधगया में एक ''व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द्र'' के संचालन शुरू किया गया है।

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 1995 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके आलोक में प्रोत्साहन राशि स्वीकृत/वितरित करने की कार्रवाई की जा रही है।

520 आवासन क्षमता वाले कुल 15 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त दरभंगा जिला में 280 आवासन क्षमता वाले आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य किया गया है।

पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य सरकार के द्वारा निम्नांकित नई पहल किए गए हैंः–

विभागीय संकल्प संख्या–1769 दिनांक–21.11.2024 के द्वारा सभी अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय

+2 उच्च विद्यालयों में बेहतर एवं सुदृढ़ सेवा प्रदान करने तथा आवश्यक सुविधाओं को उत्तम बनाने हेतु राज्य के सभी अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में आवासित छात्राओं को भोजन (जलपान सहित) आदि की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्ति, विद्यालय परिसर की साफ–सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई की सेवा का कार्य बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के माध्यम से किये जाने की स्वीकृति दी गयी है। 15 जिलों में 520 आवासन क्षमता वाले आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त दरभंगा जिला में 280 आवासन क्षमता वाले आवासीय विद्यालय भवन निर्मित है। सभी निर्मित आवासीय विद्यालय भवनों में प्रयोगशाला तथा स्मार्ट क्लास का अधिष्ठापन किया जा रहा है।

बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा समस्तीपुर, दरभंगा, रोहतास, पूर्णियाँ एवं मुंगेर में कौशल प्रशिक्षण केन्द्र में 11वीं कक्षा के छात्राओं को महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत भाषा कौशल, संवाद कौशल एवं बेसिक कम्प्यूटर ज्ञान का प्रशिक्षण दिये जाने हेतु सहमति दी गयी है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2025–26 से संबंधित भावी कार्यक्रम निम्नरूपेण हैः–

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि किया जाना।

प्रमंडल स्तर पर सरकारी/संगठित निजी क्षेत्र में कार्यरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाना।

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में 11वीं एवं 12वीं के छात्राओं को मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT), सी0यू0ई0टी0 आदि परीक्षाओं की तैयारी चयनित शिक्षकों के माध्यम से कराया जाना।

नवनिर्मित 520 आवासन क्षमता वाले 11 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर विद्यालयों का संचालन कराना एवं नवनिर्मित भवन में आवश्यक संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। साथ ही 10 निर्माणाधीन अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण कर उनका संचालन किया जाना।

आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई किया जाना।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्कीम मद में ₹176528.00 लाख (रूपये एक हजार सात सौ पैसठ करोड़ अठाईस लाख) मात्र, केन्द्र प्रायोजित स्कीम मद में केन्द्रांश के तहत ₹13172.00 लाख (रूपये एक सौ इकतीस करोड़ बहत्तर लाख) मात्र, राज्यांश के तहत ₹300.00 लाख (रूपये तीन करोड़) तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में ₹19108.21 लाख (रूपये एक सौ ईक्यानवे करोड़ आठ लाख इक्कीस हजार) मात्र का बजट उपबन्ध प्रस्तावित है।

हमारी सरकार समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के विकास के लिए कटिबद्ध है। हमें विश्वास है कि राज्य सरकार की इन योजनाओं से पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों का सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक स्तर सुदृढ़ होगा।

अतः मैं वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माँग संख्या–11 अंतर्गत स्कीम मद में ₹159700.00 लाख (रूपये एक हजार पाँच सौ सन्तानवे करोड़) मात्र तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में ₹19098.21 लाख (रूपये एक सौ नब्बे करोड़ अंठान्वे लाख इक्कीस हजार) मात्र से अनधिक माँग प्रस्तुत करता हूँ।

मंत्री
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग
कल्याण विभाग, बिहार, पटना।